प्रेस नोट संख्या-17

दिनांक- 04.04.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 30,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में महिला सम्बन्धी अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी, न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-12 सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 36/21 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में थाना बाजार शुकुल के अभियुक्त मोबीन पुत्र यासीन निवासी सत्थिन थाना बाजार शुकुल जनपद अमेठी को उक्त “**मिशन शक्ति’** के अभियोग में आज दिनांक 04.04.2024 को 3/4 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रु0 अर्थदण्ड एवं धारा-363 भादवि में 05 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000 रु0 अर्थदण्ड एंव धारा-366 भादवि में 05 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग में वादिनी मुकदमा की दिनांक 12.02.2021 समय 11.45 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादिनी की नाबालिग भतीजी के साथ अभियुक्त मोबीन पुत्र यासीन निवासी सत्थिन थाना बाजार शुकुल जनपद अमेठी द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने की सूचना पर मु0अ0सं0 36/21 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बाजार शुकुल पर पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री प्रेमचन्द्र द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए- 82 दिनांक 03.04.2021 एवं को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।